

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष - शिवनारायण दास ।


बनाम

वाद सं0 96/2022

द्वितीय पक्ष - फिलिप सुरीन बगेरह।

| आदेश की क्र सं0 एवं तिथि | <u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u> | आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| 29/1/23 | <p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना कुरकुरा के अप्राथमिकी सं0 13/2022 दिनांक 18/07/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) शिवनारायण दास, उम्र 58 वर्ष पिता सव0 राजेन्द्र दास ग्राम बेतरकेरा थाना कुरकुरा जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) फिलिप सुरीन उम्र 55 वर्ष (2) रावेल सुरीन उम्र 50 वर्ष (3) जोनाथन सुरीन उम्र 47 वर्ष तीनों पिता स्व0 सुदानंद सुरीन (4) हाना सुरीन उम्र 58 वर्ष पिता स्व0 मार्टिन सुरीन सभी ग्राम बेतरकेरा थाना कुरकुरा जिला गुमला के बीच मौजा बेतरकेरा के खाता सं0 18, प्लॉट सं0 978, रकबा 0.40 एकड़ भूमि को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।</p> <p>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-</p> <p>वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कुरकुरा अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के आधार पर वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित ।</p> | |




अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।